तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। आज PO साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6/2/25 को पेश हो।	
6/2/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किये जाने उचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय व आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुदा होकर नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––07/2021

प्रविष्टि दिनांक –09.02.2021

उनवान

अजय कुमार पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल जाति वैरवा निवासी ग्राम रम्भा तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

प्रार्थी/वादी

वनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल तिवाडी–वकील वादी /प्रार्थी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी /अप्रार्थी

निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक–06-02-25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादी की खातेदारी की व कब्जेकाश्त की भूमि खाता सं0 165 मे आराजी खसरा नंबर 325 एवं खाता सं0 163 मे खसरा नंबर 484, खसरा नंबर 635 कुल किता–2 कुल रकबा 4 बिस्वा एवं खाता सं0 164 मे खसरा नंबर 585, खसरा नंबर 586 ,587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 629, 634, कुल किता–18 कुल रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम रम्भा पटवार हल्का डांगरथल द्वितीय तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित हैं। वादी का मौके पर उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड के हिस्से अनुसार कब्जा है। वादी का नाम अजय कुमार है तथा वादी के पिता का नाम भंवरलाल है परन्तु ग्राम रम्भा मे अम्बालाल व वादी के पिता को उपनाम भूरा कहकर पुकारने की वजह से उक्त भूमि मे की समस्त जमाबंदियो मे वादी का नाम अम्बालाल पुत्र भूरा अंकित हो गया जबकि वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड , जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनाकार्ड मे अजयकुमार पुत्र भंवरलाल अंकित है। अतः उक्त भूमि मे वादी का नाम अम्बालल पुत्र भूरा के स्थान पर अजय कुमार पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल किया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2072–75 , नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी, आधार कार्ड , पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार खसरा नंबर 585, 586 ,587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 629, 634, कुल किता–18 कुल रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा मे वादी का नाम संयुक्त भूमि होने के कारण 1/28 दर्ज है। वादी की भूमि कोटक महिन्द्रा बैंक जयपुर के नाम दर्ज है। साथ ही खसरा नंबर 484, खसरा नंबर 635 कुल किता–2 कुल रकबा 4 बिस्वा मे वादी का हिस्सा 1/84 दर्ज रिकार्ड हैं जो बिना रहन है। वादी का नाम उक्त भूमि मे अम्बालाल पुत्र भूरा दर्ज हैं उक्त भूमि पैतृक है। मौका पर्चा के दौरान बताया गया कि अम्बालाल पुत्र भूरा व अजय कुमार पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल दोनो ही एक ही व्यक्ति है जो इसी ग्राम मे निवास करता है इस बाबत सरपंच डांगरथल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः वादी का नाम अम्बालाल पुत्र भूरा के स्थान पर अजय कुमार पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पेशकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे नामान्तरकरण , जमाबंदी , ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2072–75 मे प्रार्थी का नाम अम्बालाल पुत्र भूरा अंकित है, लेकिन यथा प्रस्तुत आधार कार्ड , पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड मे अजय कुमार पुत्र भंवरलाल अंकित है। पेशकार सरकार के स्वीकारोक्ति जवाब मे वादी का नाम अजय कुमार पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा अंकित करने की अभिशंषा की हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भी अपने प्रमाण पत्र मे अम्बालाल पुत्र भूरा व अजय कुमार पुत्र भंवरलाल उर्फ भूरा एक ही व्यक्ति बताया है। संभवतः भूरा की विरासत का नामान्तरकरण भरते समय अनभिज्ञता कारण बोलते नामो से इन्द्राज कर दिया गया हो जो लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है और उक्त त्रुटि को पेशकार सरकार, ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया तथा साक्ष्य दस्तावेजो से साबित होती है। इस प्रकार उक्त त्रुटि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है तथा जिसके अनुसार उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य उक्त त्रुटि को साबित करते है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी वादी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि भूमि खाता सं0 165 मे आराजी खसरा नंबर 325 एवं खाता सं0 163 मे खसरा नंबर 484, 635 कुल किता–2 कुल रकबा 4 बिस्वा एवं खाता सं0 164 मे खसरा नंबर 585, 586 ,587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 629, 634, कुल किता–18 कुल रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सभा पटवार हल्का डांगरथल द्वितीय तहसील निवाई जिला टोंक मे वादी का नाम **"अम्बालाल पुत्र भूरा"** के स्थान पर **"अजय कुमार पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल"** शुद्ध कर, शेष अंकन एवं रहन के नोट को यथावत रखते हुए, तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 06-02-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार [illegible]लिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई